क्रमांक 3328500 / 02 / 2021
कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता,
जल संसाधन विभाग,
"जल संसाधन भवन" तुलसीनगर
भोपाल, म.प्र. 462003
Telephone 0755-2552646, 2552878, Fax 0755-2552406 email-encwrdbpl@nic.in

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

प्रति,

श्री व्ही.के. श्रीवास्तव,
सहायक यंत्री (प्रभारी कार्यपालन यंत्री),
जल संसाधन संभाग,
सबलगढ़, जिला--मुरैना (म0प्र0)

द्वारा :--मुख्य अभियन्ता, यमुना कछार, जल ससंाधन विभाग, ग्वालियर।

विषय:--मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 नियम--16 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र।

::::::::00::::::::

आप कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सबलगढ में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ है एवं आपके कार्यक्षेत्र अंतर्गत चम्बल दाहिनी मुख्य नहर, जो मध्यप्रदेश--राजस्थान की अंतरराज्यीय वृहद सिंचाई परियोजना है। जिससे राजस्थान में लगभग 1.30 लाख हे0 एवं मध्यप्रदेश में लगभग 3.60 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है।

मुख्य अभियंता,यमुना कछार ग्वालियर के पत्र दिनांक 11.01.2021 द्वारा अवगत कराया गया दिनांक 08 जनवरी 2021 को प्रातः 5.30 बजे चम्बल नहर प्रणाली की दाहिनी मुख्य नहर जिला--मुरैना, तहसील सबलगढ़ ग्राम वावड़ीपुरा के पास आर.डी. 148.78 कि.मी. पर डक्ट पोर्शन में दाहिने किनारे की तरफ की दीवाल क्षतिग्रस्त हो गई। जिससे जिला--मुरैना एवं भिण्ड क्षेत्र की सिंचाई बाधित हुई। उक्त चम्बल नहर से जिला--मुरैना एवं भिण्ड जिले के लगभग 1200 गॉवों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाता है। आपके द्वारा वर्ष 2020--21 की रबी सिंचाई के दौरान नहरों का पर्याप्त पयर्वेक्षण नहीं किया जाना परिलक्षित है जिसके फलस्वरूप उक्त नहर क्षतिग्रस्त हुई।

आपके द्वारा चम्बल दाहिनी मुख्य नहर के रख रखाव एवं मरम्मत कार्य के क्रियान्वयन में पदीय दायत्वों का निर्वहन समुचित रूप से न कर अधीनस्थों पर सक्षम नियंत्रण नहीं रखने के कारण उक्त स्थिति निर्मित हुई।

इस प्रकार आपका उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता को स्पष्ट करता है। क्यों न आपके उक्त कृत्य के लिये आपके विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा

(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम–10 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

अतः आप अपना उत्तर कारण बताओं सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह मानकर कि आपको तत्संबंध में कुछ नही कहना है प्रकरण एक पक्षीय निराकृत किया जावेगा।

11.1.21

(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियन्ता

पृष्ठांकन क्रमांक 3328500/02/2021 भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2021

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मा.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य अभियन्ता, यमुना कछार, जल संसाधन विभाग, ग्वालियर।
4. अधीक्षण यंत्री, निचला चंबल मंडल,मुरैना।
5. सम्बन्धित अधिकारी श्री व्ही.के.श्रीवास्तव, प्रभारी कार्यपालन यंत्री द्वारा ....
6. वैब मैनेजर, कार्यालय–प्रमुख अभियंता,जल संसाधन विभाग,भोपाल की ओर वैबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

11.1.21

(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियन्ता